न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 124/2019

आरसीएमएस नं. 2019/124

1. शेर सिह
2. गुलाब सिह } पि0 जगमाल जाति जाट निवासी गणेशपुराबास तहसील भादरा
3. दीप सिह } जिला हनुमानगढ।
4. केशर पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी गणेशपुरा बास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. जगमाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी गणेशपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

जमना पत्नी नेकीराम जाति जाट निवासी गणेशुपरा तहसील भादरा

3. बंशी } पि0 नेकीराम जाति जाट निवासी गणेशपुरा तहसील भादरा
4. शंकर }

5. श्रवण कुमार पि0 मु0 मोहन सिंह जाति जाट निवासी गणेशुपरा तहसील भादरा
6. राम सिह } पि0 मुखराम जाति जाट निवासी गणेशुपरा तहसील भादरा
7. बनवारी }
8. सावित्री पत्नी शिशराम जाति जाट निवासी गणेशुपरा तहसील भादरा
9. रोहताश पि0 शिशराम जाति जाट निवासी गणेशुपरा तहसील भादरा
10. सुरेन्द्र
11. सोना } पुत्रियान शिशराम जाति जाट निवासी गणेशुपरा तहसील भादरा
12. मंजु

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

13. शंकर पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी गणेशुपरा तहसील भादरा
14. सन्तोष } पुत्रियान श्योलाल जाति जाट निवासी गणेशुपरा तहसील भादरा
15. रोशनी }
16. राजबाला पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी गणेशपुरा तहसील भादरा
17. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा
18. शाखा प्रबन्धक एम.जी.बी. बैंक भादरा
19. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. बैंक भादरा तहसील भादरा
20. महेन्द्र सिह पुत्र. जयलाल जाति जाट निवासी गणेशपुरा तहसील भादरा
21. सुभाष }
22. रमेश } पि0 औमप्रकाश जाति जाटनिवासी गणेशपुरा तहसील भादरा
23. सन्दीप }
24. भतेरी पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी तहसील भादरा।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2019
पास उपखण्ड अधिकारी भादरा
प्र. सं. 195/2015 अनवान जगमाल बनाम शेर सिह आदि

उपस्थितिः—

श्री राजपाल झोरड़, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मदन मोहन जोशी अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1

निर्णय दिनांक 13.04.23

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि वादी नं. 1 ता 13 के पूर्वज मोहरसिंह उर्फ मोहरू ने दिनांक 03.07.1979 को चक 8 बारानी के खाता संख्या 72/69 के मु. नं. 28 के किला नं. 19, 22 ता 25 जरिये बैयनामा वादी के पक्ष में करवाकर कब्जा मौका पर वादी को सम्भाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दिया था तब से उक्त भूमि लगातार वादी के कब्जा काश्त में है। बैयनामा के अनुसार बैयनामा में दर्ज वाद भूमि का वादी खातेदार काश्तकार हो गया है अतः वाद वादी स्वीकार कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे। प्रतिवादीगण ने जवाब वादपत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि तथाकथित बैयनामा का आज तक वादी ने अपने नाम से नामान्तरण दर्ज नहीं होने का अपने दावा में कोई कथन एवं कारण दर्ज नहीं किये हैं। वादभूमि के संबंध में उक्त तथाकथित बेयनामा फर्जी एवं छुपे तौर पर करवाया गया था जिसे वादी पक्ष ने जान बूझकर छुपाये रखा ताकि किसी को उक्त फर्जकारी की भनक नहीं लगे तथा जयलाल की मृत्यु होने के उपरान्त उक्त फर्जी एवं कूटरचित बेयनामा को असल के रूप में काम में ले सके। इसलिए वाद वादी पक्ष खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा कथित किये गये कथन को ही आधार मानकर दावा डिक्री किया गया है तथा चूंकि तीनों चकों की गुगन व मुखराम की संयुक्त खाता की 42 बीघा कृषि भूमि की दोनां भाईयों के हिस्से में 21 बीघा 2 बिस्वा भूमि आती थी। अपीलाण्ट वगैर पांच भाईयों की 21 बीघा भूमि थी तथा प्रत्येक की 4.05 बीघा भूमि आती थी। मगर अब रेस्पोडेण्ट ने 1 बीघा भूमि उक्त वाद की आड में अपने नाम से ज्यादा भूमि का दावा पेश करके अपने नाम से डिक्री करवायी जो कतई गलत है तथा विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी ओर से जवाब दावा पेश किया था तथा कथन किया था कि उक्त बैयनाम कतई गलत व फर्जी दस्तावेज है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीन तनकी कायम की गई जो तीनों ही वादी की और से थी बावजूद इसके कि अपीलाण्ट ने अपनी और से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जवाब दावा पेश किया था जिस पर कोई तनकी कायम नहीं की गई। बैयनामा सन् 1979 का था जिससे साफ जाहिर था कि वाद न्यायालय न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। रेस्पो0 सं0 1 के गलत दावा में यह साबित था कि 21 बीघा भूमि जो गुगन की थी जिसमें उसके वारिस के नाम से प्रत्येक ब.हि.ब. का उक्त तथाकथित बैयनामा रेस्पो0 को श्योचन्द के द्वारा करवाया गया था तत्पश्चात् शेष बची हुई भूमि में गगन के चारों वारिसान की 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि आई थी जिस पर रेस्पो0 सं0 1 के नाम से 1.012 है0 होनी चाहिए थी मगर अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा रेस्पो0 सं0 1 के नाम से 1.265 है0 भूमि की डिक्री पारित की गई जो कतई गलत व विधि के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत है तथा काबिल मन्सूख है। अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारानामा को साबित नहीं किया गया। ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ जिससे यह साबित हो कि बंटवारा नामा हुआ हो। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं हो सका। अपील ज्ञान से अंदर मियाद हैं। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि का मोहरसिह उर्फ मोहरू ने दिनांक 03.07.1979 को चक नं. 8 बारानी के खाता सं0 72/69 के मु. नं. 28 के किला नं. 19, 22, 23, 24 जरिये बैयनामा वादी के पक्ष में करवा कर कब्जा मौका पर संभाल दिया गया था और उसी बैयनामा के आधार पर वादी ने सम्पूर्ण कृषि भमि पर बिना किसी रोक टोक के खुल्ला काबिल चला आ रहा है लगान आदि स्वयं जमा करवाता है। प्रतिवादीगण भी अपने पारिवारिक मौखिक बंटवारे के अनुसार चक नं. 7 व 9 बारानी की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग में ले रहे है। उक्त बंटवारा होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पिता व 6 के ससुर व 7 ता 9 के दादा जयलाल प्रतिवादी सं0 10 के पति, 11 व 12 के पिता नेकीराम व 13 के पिता मोहर सिर्फ मोहरू ने दिनांक 03.07.1979 को चक 8 बारानी की कुल 1.265 है0 भूमि का बैयनामा रजिस्ट्रार कार्यालय भादरा में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रोबरू गवाहान मलूराम पुत्र फुसाराम आदि के पक्ष में करवा दिया था । विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1979 पेज 1, 1994 आरबी पेज 122, 2006 (3) आरएलडब्ल्यू पेज 2522, 1976 एआईआर पेज 807 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मृतक गुगन व मुखराम का आपस में सन् 1979 से पहले ही बंटवारा होना मानकर दावा डिक्री किया है जबकि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे बंटवारानामा साबित होता हो। मात्र वादी के कथनों को ही अधीनस्थ न्यायलाय ने आधार मानकर दावा डिक्री किया है जो विधि के मूल सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय में जवाब दावा पेश किया था जिस पर कोई तनकी कायम नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो तीन तनकीयात कायम की है जो तीनों ही वादी की ओर से थी। अपीलाण्ट के जवाब दावा के आधार पर कोई तनकी कायम नहीं की गई जो अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2019 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य सुनवाई का पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 13.4.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.4.23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)